

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.- 11/2013-14


जगमोहन पिंगुवा (हो)।  
बनाम  
मार्शल पिंगुवा एवं अन्य।  
आदेश


यह वाद दिनांक- 24.09.2013 को वादी जगमोहन पिंगुवा (हो), पिता- स्व० सोबन हो, निवासी ग्राम- मझगाँव, पो०- मझगाँव, थाना- मझगाँव, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा दायर वाद पत्र के Schedule में वर्णित भूमि का Declaration of right, title and interest के लिए प्रतिवादी मार्शल पिंगुवा (हो), पिता- स्व० नुन्दी हो एवं 01 अन्य, निवासी ग्राम- मझगाँव, पो०- मझगाँव, थाना- मझगाँव, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध कोल्हान दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 28.08.2017 से उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति नहीं दी जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में उभय पक्ष को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
30.11.22  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

  
30.11.22  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।